राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(10)ग्रावि/नरेगा/क.लि./2013 जयपुर, दिनांक 19 JUN 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
समस्त, राजस्थान ।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कनिष्ठ लिपिक, ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में वर्तमान में 9900 ग्राम पंचायते है जिनमें नव सृजित 723 ग्राम पंचायते भी शामिल है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) एवं कनिष्ठ लिपिक (प्रतिनियुक्ति) का एक–एक पद स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन का एक पद भी स्वीकृत है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पुरानी ग्राम पंचायतों में से कई ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक एवं कनिष्ठ लिपिक दोनों ही कार्यरत है तथा पुरानी एवं नव सृजित ऐसी ग्राम पंचायते भी है जहां ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) एवं कनिष्ठ लिपिक दोनों में से कोई भी कार्यरत नहीं है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कनिष्ठ लिपिक अथवा एक ग्राम रोजगार सहायक आवश्यक रूप से रखा जाना है। अतः एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) अथवा कनिष्ठ लिपिक को आवश्यक रूप से पदस्थापित किया जावे।

भवदीय,

19/6/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. परि.निदे.एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

19-6-15

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस